

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

महावीर कैसर सस्थान,

फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक...

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	किरण देवी पति-मनोज कुमार साह ग्राम-बरमसिया पोस्ट-सिमलबानी थाना-सिकटी जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 4140 10350031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रुनम देवी पति-भुनेश्वर कुमार ग्राम+पोस्ट-सादोपुर थाना-अलीपुर जिला-गया एम०सी०एस-एफ 93983/ 10339875	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ज्ञाती देवी पति-गौरी शंकर शर्मा ग्राम-सवाजपुरा पोस्ट-जयपुर थाना-मेहदिया जिला-अरवल एम०सी०एस-जी० 10828 10356719	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	शैलेन्द्र सिंह पिता- खुशहाल सिंह ग्राम- मठिला पो0- मठिला थाना-कोरान सराय जिला- बक्सर एम0सी0एस-जी0 12326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	अमरीका देवी पति-राम नरेश यादव ग्राम- मलहीपट्टी पो0- मलहीपट्टी बहादुरपुर थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा एम0सी0एस-एफ 70226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	गुलबिर्यो देवी पति- राम एकबाल महतो ग्राम- चकमुहम्मद पो0- जतुआ थाना- गगा ब्रिज जिला- वैशाली एम0सी0एस-जी0 9950 / 10355841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अर्जुन पासवान पिता-स्व0 फिरंगी पासवान ग्राम+पो0-सहथा थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली एम0सी0एस-जी011319 / 10357210	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	ललित मेहता पिता- प्रगाश महतो ग्राम-दुधार पोस्ट-सुंदरगज थाना रिसियप जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 10420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	कौशल्या देवी पति-गौतम कुमार ग्राम-खॉड दियारा पोस्ट- विष्णुपुर आहोक थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 13016 / 10358907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

10	अकुश कुमार पिता- कमल साह ग्राम-पुरनहिया पो0-पुरनहिया थाना-घोडा साहन जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 13819 / 10359710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	लालमती देवी पति- राम कुमार भगत ग्राम- ठाकुर पचलखी पो0- अघैला थाना- धनौती ओ0पी0 जिला- सीवान एम0सी0एस-जी0 10892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	सोमन कुमार राय पिता- भतरी लाल राय ग्राम-बनियाडागी पोस्ट- पदमपुर थाना दीघल बैक जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 11541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मोजिबुल रहमान पिता-नससुल्लाह ग्राम+पो0-लकरी थाना- लकडी नवीगंज जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 14347 / 10360238	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	ब्रजेश कुमार पिता- सीता राम सेठ ग्राम-जहानाबाद पोस्ट+थाना कुदरा जिला- कैमुर भभुआ एम0सी0एस-10361397	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	उमानंद पासवान पिता- सिको पासवान ग्राम-फतेहपुर पोस्ट-फतेहपुर थाना-नरपतगंज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 14318 / 10350209	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	गीता देवी पति-रविन्द्र साह ग्राम+पो0-कैन्दुआ थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर एम0सी0एस-जी0 4734	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

17	उर्मिला देवी पति- शिव शंकर प्रसाद सिंह ग्राम- माईल पो0- भैरोपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली एम0सी0एस-जी0 13912 / 10359803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	बीबी लीलु पति- मो0 अजिम ग्राम-वार्ड न0- 43 सबौर पोस्ट- सबौर थाना- सबौर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-जी0 68749 / 10314641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	गोबिन्दा गुप्ता पिता- राम गणेश गुप्ता ग्राम-मठिया टोला सेमरहि पोस्ट- अहियापुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 12520 / 10358411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	शहादत आलम पिता- अफसर ग्राम- लसकरबारी पो0- बेलारी थाना- सालमारी ओ0पी0 जिला- कटिहार एम0सी0एस-10360909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	आरव कुमार पिता- सुरेन्द्र कुमार दास ग्राम-हरिजन टोला अमरपुर पोस्ट-अमरपुर थाना अमरपुर जिला बाका एम0सी0एस-10360874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	महेन्द्र मिश्रा पिता-जीतवाहन मिश्रा ग्राम-बेलसर पो0-बेलसर थाना-मेहदिया जिला अरवल एम0सी0एस-10360790	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

23	जगरनाथ शर्मा पिता- झरोखी शर्मा ग्राम- काली मेला रोड न0-01 पो0-फारबीसगज थाना- फारबीसगज जिला अररिया एम0सी0एस-10360629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	विनीता देवी पति- आनंदी राय भावुक ग्राम-जारग रामपुर पो0- जारंग रामपुर थाना- बेलसर ओ0पी0 जिला- वैशाली एम0सी0एस-एफ 81399	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मीना देवी पति- किशोर पासवान ग्राम-सोहाडा टोला पोस्ट+थाना चौसा जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-10360546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	इन्द्रा देवी पति- कृष्णा सिंह ग्राम- सिसवनीया पो0- सिसवनीया थाना- लौरिया जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 11473	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	ललन यादव पिता- स्व0 मुनेश्वर यादव ग्राम- मझवलीया पो0-छितनपुर थाना-असाव जिला- सीवान एम0सी0एस- 10354912 जी-9021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सगीरा खातुन पति- मो0 मुफीद ग्राम+पो0-भतौरा थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी एम0सी0एस-जी0 13270 / 10359161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	राधेश्याम दास पिता- महेन्द्र दास ग्राम-गोलबिगहा पो0-बंदेया थाना-मखदुमपुर जिला जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 12173	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

30	विनोद साह पिता- शिव साह ग्राम- गोविन्दगंज पो0+थाना गोविन्दगज जिला- मोतिहारी एम0सी0एस-10257907 / जी0 14347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	गोपाल प्रसाद साह पिता-रघुनन्दन प्रसाद साह ग्राम-इमली पट्टी पोस्ट-गुलाबबाग थाना- सदर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-जी 13791 / 10359682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	राम प्रसाद साव पिता- स्व0 खुशी साव ग्राम-नया टोला फेहेमपुर पोस्ट-लका कचुआरा थाना- गौरीचक जिला- पटना एम0सी0एस-10355652 / जी0 9761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	मास्टर बिराज कुमार पिता-भीम पटेल ग्राम- जनेरवा पो0-अराराज थाना- अराराज ओ0पी0 जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 14249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	राधेश्याम राय पिता- राम पुकार राय ग्राम-महमदुर बया पो0+थाना-सरैया जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-ई0 7608 / 10153501	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रामप्रीत सहनी पिता-कमाल सहनी ग्राम- चिचुरहिया पोस्ट- कुकुरजरी थाना बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 4950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

36	महादेवी पति- राम विलास पासवान ग्राम- असमा पोस्ट-कुमार बाजितपुर थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 68890 /10314782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	जय प्रकाश भडारी पिता- स्व0 देवन भडारी ग्राम- गोविंद फदह पोस्ट- रीगा थाना पुनौरा जिला सीतामढी एम0सी0एस- 10360559	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	रामन्ति देवी पति- राम प्रकाश यादव ग्राम- बैरिया पोस्ट- बैरिया थाना- बैरिया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-डी0 29113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	नुतन कुमारी पति-राघव कुमार चौधरी ग्राम- सन्हौली पोस्ट- बेरी थाना-बिरोल जिला दरभंगा एम0सी0एस-जी0 1503	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	दया रानी देवी पति-राजनीति यादव ग्राम-खरहट पोस्ट-फुल मलिक थाना-साहेबपुर कमाल जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-10360412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	ललिता देवी पति-कपिलदेव कुमार ग्राम+पो0-झडापुर थाना बिहपुर जिला भागलपुर एमसी0एस-जी0 11479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	शशिकान्त सिन्हा पिता- हरिहर सिन्हा ग्राम-रामपुर पो0-रामपुर थाना- शिवनारायणपुर जिला- भागलपुर एमसी0एस-जी0 14074/ 10359965	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

43	संजय कुमार राम पिता-नरेश राम ग्राम-कुंडेसर पो0-कुंडेसर थाना-शाहपुर जिला- भोजपुर एमसी0एस-जी0 13855 / 10359746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	साहेब साह पिता-सुखदेव साह ग्राम-सिरसी पो0-सिरसी थाना-खोदावन्दपुर जिला- बेगुसराय एमसी0एस-एफ 82561 / 10328453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	आयुष राज पिता- अरविन्द महतो ग्राम-गंगरहो पोस्ट-मोहनपुर थाना बखरी पुलिस स्टेशन जिला- बेगुसराय एमसी0एस-जी0 12321 / 10358212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	मासो कुली देवी पति- दिनेश सरदार ग्राम- चरने पो0 चरने थाना- राजेश्वरी ओ0पी0 जिला- सुपौल एमसी0एस-एफ 81919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	फीदा खातुन पति-कल्लु खान ग्राम-मिल्की पो0-पीरो थाना- पीरो जिला भोजपुर एमसी0एस-जी0 10338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	रंजु देवी पति-दशरथ राय ग्राम-फतेहपुर पो0- महारानी थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगंज एमसी0एस-10360687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

49	अमिरकला देवी पति-जगदीश राय ग्राम बलानपट्टी 14 पो0-टेगरार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी एमसी0एस-जी0 14429 / 10360320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	सुखीचन्द महतो पिता-रघुवीर महतो ग्राम-कवी चौक पो0-सिधिया घाट थाना- बिभूतिपुर जिला समस्तीपुर एमसी0एस-जी0 10976	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	विपिन भगत पिता- योगेन्द्र भगत ग्राम+पो0-कोरीयान थाना- भेल्दी जिला सारण एमसी0एस-एफ 75673 / 10321565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	शांति देवी पति-योगेन्द्र राय ग्राम-हसनपुर पो0-नन्दलालपुर थाना+जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 99060 / 10344952	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	कौशम देवी पति-कृष्णा ठाकुर ग्राम+पो0-सिकंदरपुर थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 13430 / 10359321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	अम्बेला खातुन पति-मो0 जाकीर आलम ग्राम-बसतपुर वार्ड 04 पोस्ट- सुधानी थाना- सुधानी ओ0पी0 जिला- कटिहार एम0सी0एस-जी0 14409 / 10360300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	संजीत कुमार सिंह पिता- कृष्णा सिंह ग्राम-बगोइया पोस्ट-मदनसाठ थाना-दाउदपुर जिला-सारण एम0सी0एस-10357959 / जी0 12068	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	निजामुदीन पिता-मोबारक मिया ग्राम-महम्मदपुर नीलामी पोस्ट-महम्मदपुर थाना- बरौली जिला- गोपालगज एम0सी0एस-10360637	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	कन्हारू पासवान पिता-स्व0 अनवत राम ग्राम- बरगछिया पो0- रामचन्द्रपुर थाना थावे जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 13241 / 10359132	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	राज कुमार पिता-जुगल राम ग्राम-महादेव पट्टी पोस्ट-मटियारी थाना- बलुआ बाजार जिला सुपौल एम0सी0एस-जी0 10204	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	गजाला नासरा पति-नयथर इदरीस ग्राम-मिरफेकु गली बरहपुरा पो0-बरहपुरा थाना-ईशाचक जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 13995 / 10359886	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
60	उषा देवी पति-सुनील कुमार तिवारी ग्राम- सरसीवान पोस्ट- कृष्णगढ थाना आरा मुफसिल जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10360461	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

61	लालती देवी पति-लालदेव ठाकुर ग्राम+पो0- किंजर थाना- किंजर जिला अरवल एम0सी0एस-जी0 7063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	तेतरी देवी पति- दिनेश प्रसाद यादव ग्राम-सरुवा पो0-सरुवा थाना- बौसी जिला- बांका एम0सी0एस-10361000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	दीपलाल मंडल पिता- सुखदेव मंडल ग्राम+पो0-हरिबेला थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी एम0सी0एस-जी0 3904 / 10359795	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	छठिया देवी पति- जगमोहन यादव ग्राम- श्रीरामपुर पोस्ट- अरियाव थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर एम0सी0एस-10361311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	वशिका कुमारी पिता- स्व0 आनन्द कुमार ग्राम-बेउर चौराहा अनीसाबाद पटना-2 पो0-बेउर थाना-बेउर जिला- पटना एम0सी0एस-10361371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	अनिता देवी पति-सुभाष सरदार ग्राम- चरने पो0- चरने थाना-राजेश्वरी ओ0पी0 जिला- सुपौल एम0सी0एस-10361888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	गोपाल मडल पिता- कान्ति मंडल ग्राम-कुमरगंज पोस्ट-थरबिड्डा थाना किशनपुर जिला- सुपौल एम0सी0एस-जी0 14065 / 10359956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	रविन्द्र कुमार सिंह पिता- स्व० राम सिंह ग्राम- डुमरी बुजुर्ग पो०- डुमरी बुजुर्ग थाना- नयागाव जिला- सारण एम०सी०एस-जी० 12573 / 10358464	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	शशिकान्त रजक पिता- हृदयलाल रजक ग्राम-दामोदरपुर पो०-दामोदरपुर थाना- बहोरनपुर जिला भोजपुर एम०सी०एस-10361426	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	चिन्ता देवी पति- परशुराम पासवान ग्राम- मखदुमपुर पो०- लारनपुर थाना- इस्लामपुर जिला नालदा एम०सी०एस-जी० 12230 / 10358221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	गायत्री देवी पति-देव नारायण यादव ग्राम+पो०- जलसीमा थाना- सोनवर्षा जिला- सहरसा एम०सी०एस-जी० 12814 / 10358705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	असलम पिता- सरफुदीन ग्राम- रहमानपुर पोस्ट- शीतलपुर थाना- बारसोई जिला-कटिहार एम०सी०एस-जी० 13981 / 10359872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	बॉबी कुमार पिता-राज कुमार मुखिया ग्राम नया बाजार बिहारीगज पोस्ट- बिहारीगंज थाना- बिहारीगज जिला मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 3268 / 10349159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

74	बबुन्ती देवी पति-नागेन्द्र प्रसाद ग्राम- हरपुरजान पो0- डुमरशन बंगरा थाना- मशरक जिला सारण एम0सी0एस- 10350179 / जी0 4288	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	किरण देवी पति- शिव कुमार प्रसाद ग्राम- कौशिक नगर हिलसा पोस्ट- हिलसा थाना हिलसा जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 13228 / 10359119	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	मोहम्मद सहजहा पिता- मुजमिल हक ग्राम- खेरिया पोस्ट- खेरिया थाना- कोढा जिला- कटिहार एम0सी0एस-जी0 12979 / 10358870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	नुरसेवा खातुन पति- हलीम शेख लतीफुल ग्राम- चुनिटोला पो0- बालुपारा थाना- बारसोई घाट जिला कटिहार एम0सी0एस-जी0 6817 / 10352708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	सत्य नारायण प्रसाद सिंह पिता-हरिवंश नारायण सिंह ग्राम-दामोदरपुर पो0 दामोदरपुर थाना- लखीसराय जिला लखीसराय एम0सी0एस-जी0 11157 / 10357048	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	मुन्ना राम पिता-बिदेश्वर राम ग्राम कोल्हुआ पोस्ट-बानपुर थाना- गिद्धौर जिला- जमुई एम0सी0एस-जी0 8847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

80	नागेन्द्र सिंह पिता-राम किशुन सिंह ग्राम-तरवारा चौधरी पट्टी पो0-तरवारा थाना-जी0बी0 नगर जिला सीवान एम0सी0एस-10360799	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	चद्रिका प्रसाद पिता-राम बाबु प्रसाद ग्राम-भट्ट बिगहा पो0- जुनियार थाना- हिलसा जिला नालंदा एम0सी0एस-जी0 14135 10360026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	सरिता देवी पति-अनिल कुमार ग्राम- नारायणपुर पो0- रहमपुर थाना- गरखा जिला सारण एम0सी0एस-जी0 13850/ 10359741	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	पुनित कुमार झा पिता-ध्रुव कुमार झा ग्राम-न्यु कोलनी बालुघाट पो0-कम्पनी बाग थाना मुसहरी जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 12860/ 10358751	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	रिंकी कुमारी पति- मनोज साह ग्राम- हुराहाजरा पो0- पोरला थाना- आजमनगर जिला- कटिहार एम0सी0एस-जी0 5739/ 10351630	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	कांति कुंवर पति-सुभाग सिंह ग्राम-रामचन्द्रपुर पोस्ट-नेकनामपुर थाना- देवरिया जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 13946/ 10359837	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

86	भागमणी देवी पति- स्व० रामदेव राय ग्राम+पोस्ट-भदवार थाना- चादी जिला- भोजपुर एम०सी०एस-जी० 13721 / 10359612	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
87	रोशन बीबी पति-शेख तबरेज ग्राम-मनिहारी बल्दियाबरी पो०- मनिहारी थाना- मनिहारी जिला कटिहार एम०सी०एस-10361551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
88	गीता देवी पति-विजय साव ग्राम-नरायणपुर मुरारी पो०-भदसारा थाना- पाली जिला- जहानाबाद एम०सी०एस-जी० 72120	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
89	सुशीला देवी पति- केदार पंडित ग्राम-सारेबाद पो-अगहरा थाना- सोनो जिला जमुई एम०सी०एस-जी० 11031 10356922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
90	सुबोध राय पिता-सुदीन राय ग्राम-जुमरीया पो०-भगवा थाना बौसी जिला बांका एम०सी०एस-जी० 6560 10352451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
91	शकर यादव पिता बासुदेव यादव ग्राम-तेतरीया पो०-बौसी थाना बौसी जिला बाका एम०सी०एस-जी० 14260 / 1036051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
92	बिजली देवी पति- बिदेश्वर यादव ग्राम- मतनाज वार्ड 05 पोस्ट-दभडा थाना- ताराबाडी जिला अररिया एम०सी०एस-जी० 326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

93	सुगान्ती देवी पति-चन्द्रशेखर साह ग्राम- पंडितपुर पो0- पंडितपुर थाना जनता बाजार जिला सारण छपरा एम0सी0एस-जी0 13343	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
94	गोरी देवी पति- वचन पासवान ग्राम- परसबिगहा पो0- मंदिल थाना- परस बिगहा जिला जहानाबाद एम0सी0एस-10360008 जी0-14117	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
95	गुलाबी देवी पति-बालेश्वर चौहान ग्राम-झुनाठी पो0-आषाढी थाना- नवादा जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 13614	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
96	प्यारी देवी पति- सुरेश चौधरी ग्राम-चमोथा पो0- लौंद थाना- सिरदला जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 93793	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
97	परमपति देवी पति-झुलन सिंह ग्राम-महौर पो0-एकबालगंज निसरपुरा थाना बिहटा जिला पटना एम0सी0एस-एफ 72572 / 10318464	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
98	कुती देवी पति- राजदेव हाजरा ग्राम-सिसवनिया पो0-सिसवनिया थाना दरपा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 14440 / 10360331	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
99	लगनी देवी पति-कैलाश यादव ग्राम-पाडेठीका पो0-बरहट थाना बरहट जिला जमुई एम0सी0एस-डी0 53342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

100	रेणु देवी पति-राज कुमार ठाकुर ग्राम-मधौल पो0-मधौल थाना-सरैया जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-10360673	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	अजय कुमार पासवान पिता-शिव शंकर पासवान ग्राम-नगर पंचायत पो0 नरपतगंज थाना फुलकाहा जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 12344 / 10358235	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	रम्मा देवी पति-राम जन्म सिंह ग्राम-गोरौली पो0-महुआँ थाना- बैकुंठपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-10361266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	चिलोरो खातुन पति-यासीन मियां ग्राम-गिदहा पो0 सोनगढवा थाना श्रीपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-10361073	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	सुनील सहनी पिता-माधुरी सहनी ग्राम-मुखियापट्टी पो0- साहरघाट थाना साहरघाट जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 6906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	कलावती देवी पति-च्चोतो राम ग्राम-मलाखाचक पो0-दीघवारा थाना दीघवारा जिला- सारण छपरा एम0सी0एस-जी0 14277 / 10360168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	सोनी देवी पति रामदेव मडल ग्राम-सैटरपुरा कुलकुलिया पो0- कहलगांव थाना रसलपुर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-जी0 6071 / 10351962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

107	अनिता देवी पति-पकज राम ग्राम- अमला टोला मधुबनी पो0- मधुबनी थाना-टी0 ओ0पी0 जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-10292035 / एफ 46143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
108	वीना देवी पति-विधानद यादव ग्राम हनुमान नगर पो0- भंगहि थाना फुलकाहा जिला अररिया एम0सी0एस-10360628	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
109	राम रजीत कुमार राय पिता-लक्ष्मण प्रसाद राय ग्राम-भिखना महुआबारी पो0- बहदुरा थाना अकबरपुर ओ0पी0 जिला पूर्णिया एम0सी0एस-10360933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
110	सगीता देवी पति- सोनालाल राय ग्राम-चैलाहॉ पडरिया पो0- चैलाहॉ थाना- बजरीया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
111	कमली देवी पति- शिवजी पासवान ग्राम शेकपुरा करनोती पो0- हरगोविन्दपुर थाना महनार जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 99474 / 10345366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
112	बहादुर ठाकुर पिता- निरसु ठाकुर ग्राम-पो0-भगवतपुर थाना सरायरजन जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 14245 / 10360136	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
113	मो0 फिरोज पिता-मो0 गनी ग्राम-समसपुर मिन्नत नगर पो0-बाक थाना मुफसिल जिला मुगेर एम0सी0एस-जी0 14171 10360062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

114	कार्तिक कुमार पिता-राहुल कुमार ग्राम-सिकटीया पो-खवासपुर थाना जामो बाजार जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 13625 / 10359516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
115	ललिता देवी पति-विश्वनाथ मगरदैता ग्राम करजाईन पो0-करजाईन बाजार थाना करजाईन जिला- सुपौल एमसी0एस-जी0 12969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
116	सुशीला देवी पति- हरेन्द्र राम ग्राम-मुरादपुर पो-बाघी थाना-नारायणपुर जिला आरा भोजपुर एम0सी0एस-डी0 57570	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
117	मु उमा पिता-स्व0 विनोद शर्मा ग्राम-मियांपुर तिलगही पो0-बगही रतनपुरा थाना बैरिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 13921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
118	पुनम देवी पति-सुरेन्द्र महतो ग्राम-छोटी बलहा पो0 बलहा बाजार थाना मानसी जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 69161 / 10315053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
119	पानो देवी पति- राम विलास दास ग्राम- अफजलपुर पो0-शेरघाटी थाना शेरघाटी जिला- गया एम0सी0एस-ई0 95513 / 10241406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
120	बशलाल यादव पिता-राम लखन यादव ग्राम-शिबाल वार्ड 12 पो0 रथोस थाना पतुना जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 14174 / 10360065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

121	बब्बन सिंह पिता रामबचन सिंह ग्राम-दुधरा पो0-खनैठी थाना सोनहन जिला कैमुर भमुआ एम0सी0एस-जी0 14384	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	डॉली कुमारी पिता विजय यादव ग्राम- पाटलीपुत्र गोसाई टोला पो0 पाटलीपुत्र थाना पाटलीपुत्र जिला पटना एम0सी0एस-एफ 79415/ 10325307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	सुधीर चन्द्र चौधरी पिता- उमाकान्त चौधरी ग्राम-ठाहर पो0-एरौत थाना रोसडा जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-10361148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	अर्जुन यादव पिता-घुसर यादव ग्राम-जमालदीपुर पो0-मिर्जाफरी थाना खरीक जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 13902	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	धर्मन्द्र साह पिता- भोला साह ग्राम-'झखरा बलुआ पो0- झखरा थाना- पिपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10340	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	गुलाब देवी पति-स्व जगदीश प्रसाद मडल ग्राम-टेकही पो0- भान थाना+जिला मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 13728	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	सुरेश सहनी पिता- हीरामन सहनी ग्राम-ढेकहा पोस्ट- केसरिया थाना- केसरिया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 12294/ 10358185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

128	लीला कुमारी पिता अशोक कुमार सहनी ग्राम-सकरडीहा पो0- गीता देवधा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-10362004	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	आरती देवी पति-हरेन्द्र सिंह ग्राम- सुरबल पो0-जीरादेई थाना जीरादेई जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 14163/ 10360054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	जसमती देवी पति-महेश बिंद ग्राम+पो0-गगौर थाना- कोरमा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-10360752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	तरुण कुमार पिता गंगा यादव ग्राम+पो0 गम्हरीया थाना गम्हरीया जिला मधेपुरा एम0सी0एस-10360848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	सीमा कुमारी पति कैलाश कुमार ग्राम- आदर्श नगर पो0- मधेपुरा थाना+जिला मधेपुरा एम0सी0एस-10360689	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	जयन्ती देवी पति- शशि भुषण कुमार ग्राम-मेहनौर पोस्ट- तुंगी थाना- दीप नगर जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 80550/ 10326442	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	सोना देवी पति किशुनदेव साह ग्राम रघुनाथ टोला पो0 महुआ बाजार थाना बसनही जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 7692/ 10353583	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

135	मो० नजरे आलम पिता- शहीद मिया ग्राम-सरमस्तपुर झिटकाही पो०- बकसामा थाना गोरौल जिला वैशाली एम०सी०एस-जी० 1546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	हलधर यादव पिता- उमी यादव ग्राम- बिसपुरीया पो०- कालुचक थाना खरिक जिला भागलपुर एम०सी०एस-जी० 12129/ 10358020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	विजय कुमार सिंह पिता- राम स्वरूप सिंह ग्राम- लक्ष्मीपुर पो० चक्की मयुरवा थाना सोनबरसा जिला सीतामढी एम०सी०एस-10361787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
138	गुडिया देवी पति- रमेश पासवान ग्राम- रौना टॉड पोस्ट-चकदन रौना थाना बलागज जिला गया एम०सी०एस-10360865	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	रामेश्वर साह पिता- स्व खखरू साह ग्राम-मराची उजागर पो०- हसनपुर शुगर मिल्स थाना हसनपुर जिला- समस्तीपुर एम०सी०एस-10360633	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	चंदेश्वर साह पिता- सीफत साह ग्राम-अरहा पो०- सुहत थाना सौर बाजार जिला सहरसा एम०सी०एस-जी० 13497 /10359388	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	मास्टर रेहान खान पिता-अजमुद्दीन खान ग्राम- दरियापुर पो०-दरियापुर थाना-सग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-10361446	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

142	अनिता कुमारी पति- दीपक कुमार ग्राम-माई स्थान के पास हाउस नं०-531/488/42 पो० प्रधान डाकघर थाना- मीठनपुरा जिला मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-जी० 14010/ 10359901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 1,13,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,13,60,000/- (एक करोड़ तेरह लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002647 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1223(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
30/4/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गाधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमाशकर भगत पिता- रामवृक्षा भगल ग्राम- भागर वार्ड 09 पो०- भागर थाना- सिसवन जिला- सिवान सीआर नं०- 108112500911483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	इंदु देवी पति- महश प्रसाद ग्राम- छोटा औरैया वार्ड 07 पो०- औरैया थाना- आदापुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112501263477	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मोहन साव पिता- स्व० रामचंद्र साव ग्राम- घाटकुसुम्भा वार्ड 07 पो०- डीहकुसुम्भा थाना- बाउघाट जिला- शेखपुरा सीआर नं०- 108112402632835	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पुष्पा देवी पति- तारकेश्वर राय ग्राम+पो०- सपही थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर सीआर न०- 108112300858286	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सोनम कुमारी पति- मनोज कुमार ग्राम- मस्जिद बरकत खा का आखारा वार्ड 60 पो0- झाऊगज थाना- खॉजेकला जिला- पटना सीआर न0- 108112300803899	हर्निया रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	कविता देवी पति- मतलू यादव ग्राम- सिधिया वार्ड 06 पो0- सिधिया थाना- सफियासराय जिला- मुगेर सीआर न0- 108112600330607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रजू देवी पति- शकर सिंह ग्राम- बरदाहा वार्ड 03 पो0- नाथपुर थाना- नरपतगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112600556907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सखमुनि देवी पति- स्व0 जोगिद्र बीद ग्राम- बौरैयाडीह वार्ड 13 पो0- चिकसी थाना- सिगौरी जिला- पटना सीआर न0- 108112600615806	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	जयकात चौधरी पिता- भुटाय चौधरी ग्राम- पदमपुर वार्ड 10 पो0- खादीपुर थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502122346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रगी लाल पंडित पिता- खरकान पंडित ग्राम- हथमडल पो0- इटहरी थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112300217175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	लक्षण देवी पति- योगेन्द्र यादव ग्राम- सिंहपुर वार्ड 04 पो0+थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600589848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	शांति देवी पति- हरिदेव साहू ग्राम- बटलोहिया वार्ड 13 पो0- लोहट थाना- पंडौल जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600839143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मायरा कुमारी पिता- मटू कुमार ग्राम- महुअड्डी वार्ड 09 पो0- घोघसा थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112600632301	कैसर रोग (नेत्र)	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
14	रामेश्वर मुखिया पिता- बाबूराम मुखिया ग्राम- बासमनपुर पो0- पतौरा थाना- मुफस्सिल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600625712	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
15	चंद्रकिशोर यादव पिता- मेदनी यादव ग्राम- तमकुलहा पो0- बरैठ थाना- सोनबरसा जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112401036856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	कुशेश्वर साह पिता- स्व0 शिवजी साह ग्राम- मगरदही घाट पो0- समस्तीपुर थाना- नगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600195271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
17	शान्ति देवी पति- गजानन झा ग्राम- मदनपुर वार्ड 08 पो0+थाना- मदनपुर जिला- अररिया सीआर न0- 108112600286896	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रेहाना खातून पति- मो0 इसराइल ग्राम- रतवारा शेख टोली पो0- रतवारा बिंदवारा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112600600345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	मुनि देवी पति- धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम- उपहारा वार्ड 04 पो0+थाना- उपहारा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112600549901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	नागेद्र प्रसाद पिता- रघुनाथ सिंह ग्राम+पो0- खैरवार थाना- सिविलगज जिला- सारण सीआर नं0- 108112301159683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	गौरी देवी पति- पवन महतो ग्राम- मनियारपुर वार्ड 05 पो0+थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600353305	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सुमाती देवी पति- सिकंदर यादव ग्राम- बुधु बिगहा वार्ड 01 पो0- मुरारी थाना- करपी जिला- अरवल सीआर न0- 108112600861106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	पिकी देवी पति- मनोज कुमार राउत ग्राम- शारदा नगर बटराहा वार्ड 27 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112500219121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मदन कुमार पिता- गुलाब चौधरी ग्राम- शाह सलेमपुर पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर नं0- 108112403584192	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	पुतरी कुमारी पति- जगत महतो ग्राम- हरदासपुर वार्ड 08 पो0- धरनीपट्टी थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502717269	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नागिन्द्र दास पिता- बलि दास ग्राम- पिपरा सतपुर वार्ड 04 पो0- बस्ता थाना- मैनाटाड जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112503351721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सिहेंशर मंडल पिता- राम मंडल ग्राम- बडी फटोरिया पो0- शाह आलमनगर थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600331751	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	पूनम कुमारी पति- शिवजी कुमार साह ग्राम- रघौर वार्ड 11 पो0- रघौर थाना- सुरसड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600813667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	योगेद्र महतो पिता- जगदेव महतो ग्राम+पो0+थाना- गाढा जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112600627618	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	लाइची देवी पति- कैलाश राय ग्राम- जैथर वार्ड 09 पो0- जैथर थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 108112300315029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शारदा देवी पति- अवधेश यादव ग्राम- सुकलौली वा र्ड 04 पो0- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112503089351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	हरेराम शर्मा पिता- राजेद्र शर्मा ग्राम- खेलरिया वार्ड 17 पो0- गोतपा थाना- बिक्रमगंज जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112600715592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	राजीव कुमार पिता- प्रीतम सिंह ग्राम- बेला पो0- लालबाग थाना- ल0ना0वि0वि0 जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600961186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	लक्ष्मी देवी पति- छोटू मंडल ग्राम- फरीदपुर उरत टोला पो0+थाना- जमालपुर जिला- मुंगेर सीआर न0- 108112600724893	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रीता देवी पति- मुकेश पासवान ग्राम- पांडेयपट्टी वार्ड 08 पो0- परसागढी थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112600195343	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	तलहत खातून पति- मो0 अलताफ ग्राम- दोघरिया वार्ड 02 पो0- टोलीकोला थाना- डगरूआ जिला- पूर्णिया सीआर नं0- 108112600084762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सुशांत कुमार पिता- शिव कुमार ग्राम- लरहा वार्ड 10 पो0- भवानीपुर थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503359706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	चन्द्रकान्ति देवी पति- बैचन पासवान ग्राम- चाननपुर वार्ड 10 पो0- अकौना थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112503321164	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	राम शक्ति देवी पति- राम अशीष दास ग्राम- नरकटिया वार्ड 03 पो0- दलकावा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600207091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	बीरेन्द्र कुमार पिता- महेद्र सिंह ग्राम- कटहरा पो0- मोहनपुर थाना- छातापुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112502102345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	जिबछी देवी पति- राजू यादव ग्राम- हनुमान नगर पो0- बस्कट्टी थाना- बहेडी जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112600704850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	मुनिलाल पासवान पिता- लालू पासवान ग्राम- रदाहा पो0- बालाटाड थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501208085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	आशा देवी पति- बौकू पासवान ग्राम- परसा टोले सोनपुरा वार्ड 15 पो0- रामपट्टी थाना- राजनगर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112600561978	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	दिनेश ऋषि पिता- गजेंदर ऋषि ग्राम+पो0- सन्दलपुर थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500527438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	विनय कुमार पिता- वृजनन्दन प्रसाद ग्राम+पो0- जैतपुर थाना- चंडी जिला- नालदा सीआर न0- 108112600533273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	संजना देवी पति- लाल झा ग्राम- खाडा वार्ड 08 पो0- खाडा थाना- उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112600333029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	रुकसाना खातून पति- मो0 सफदर ग्राम- गोट बेदौल पो0- रामनगर बेदौल थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112501283231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
48	भूषण प्रसाद सिंह पिता- नरेश सिंह ग्राम- बजरा पो0+थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीआर न0- 108112501790493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
49	चद्रप्रभा देवी पति- दामोदर प्रसाद यादव ग्राम- भवानीपुर पो0- सीतापुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501015163	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
50	शंकर पासवान पिता- हीतो पासवान ग्राम- आजदनगर पो0+थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600576584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
51	रुबी कुमारी पति- जय प्रकाश मडल ग्राम- झाझा वार्ड 07 पो0- सरायगढ थाना- भपटियाही जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600802002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	रेखा देवी पति- मनोज कुमार पासवान ग्राम- बावनघाट वार्ड 09 पो0- अदलपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600031162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
53	कुमारी बुलबुल रानी पति- अरविन्द कुमार ग्राम- आदर्श नगर वार्ड 07 पो0+थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600434585	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

54	अकुश कुमार पिता- बदरी कुमार ग्राम- जमादार टोला पो0- सिसवा बसतपुर थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112600711198	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	बाबू साहब कुमार पिता- बिनोद यादव ग्राम- यादवनगर पो0- आनन्दपुरा थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503339462	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
56	शम्भुनाथ मंडल पिता- मोती मंडल ग्राम- ब्रह्मपुरा पो0- घोघरडीहा थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600967001	Aortic Dissection with Aneurysm	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
57	गुलविया देवी पति- महेद्र कामत ग्राम- बहेरवा वार्ड 06 पो0- गोनहा थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600287647	हीप रिप्लेसमेट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
58	बिरेंद्र कुमार पिता- फुलेना महतो ग्राम- बहुरुपिया पो0+थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112301168071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सुनीता देवी पति- अवधेश कुमार ग्राम- हरपुर भिडी वार्ड 10 पो0- हरपुर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600766286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	तेतरा देवी पति- अशोक कुमार गुप्ता ग्राम- जमुआ पो0- करूप थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 108112300896421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	राम एकबाल महतो पिता-स्व० चंद्रदेव महतो ग्राम-चक्रवृद्धि पो०-सहसरॉव थाना भगवानपुर हाट जिला सीवान सीआरन०-108112502677607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			51,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 51,25,000/- (इकावन लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1224(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	डेजी देवी पति- बलराम कुमार ग्राम- शेरपुर पो०- नेहुसा थाना- हरनौत जिला- नालदा	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002677द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 30/4/2026

ज्ञापाक 1225(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजू देवी पति- प्रभात कुमार सिंह ग्राम- रेवतीथ वार्ड 01 पो0- रेवतीथ थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	देवेन्द्र कुमार सिंह पिता- रामनगीना सिंह ग्राम+पो0- सीयरूआ थाना- सन्झौली जिला- रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	शकर सहनी पिता- बतहु सहनी ग्राम- विजय छपरा वार्ड 07 पो0- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर	ब्रेन हेमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0

579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालू
बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507
RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1226(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002647..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/4/26

सं0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.... ..

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विद्यानद चौधरी पिता- परमेश्वर चौधरी ग्राम-बीबीगज शांति पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला पटना	हृदय रोग सी0ए0बी0जी0	2,25,000	दो लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,25,000/-(दो लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डा० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1227(14) पटना, दिनांक 30/4/2024
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002617 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सदीप कुमार पिता- अम्बिका सिंह ग्राम- चितामनपुर पो०- दोडाद थाना- सासाराम जिला- रोहतास रजि न०- 3000594901	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	दीपाली सिंह पति- सुबल चंद्र ग्राम- बेला पो०+थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि नं०- अंकित नहीं है।	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अरुण कुमार उपाध्याय पिता- दशई उपाध्याय ग्राम- फ्लैट न०- 302 योगेश्वर कुज रोड न०- 06 ईस्ट पटेल नगर पो०- एल बी एस नगर थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना रजि न०- 3000631845	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	ललन प्रसाद पिता- भगवान प्रसाद ग्राम- चमडीह पो०+थाना- चाकन्द जिला- गयाजी यूएचआईडी न०- 3000632196	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	अनिल कुमार रजन पिता- मितान रजक ग्राम- दोइया पो0- सोहसराय थाना- नूरसराय जिला- नालदा यूएचआईडी न0- 3000588747	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	विनय कुमार सिन्हा पिता- स्व0 द्वारिका प्रसाद ग्राम- बसनपुर पो0- उत्तरावां थाना- रहुई जिला- नालंदा यूएचआईडी न0- 3000561889	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	सिगहरिया देवी पति- तेरस महतो ग्राम- सनीचदा पो0- भलुही थाना- मढौरा जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000628292	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	हीरा राम पिता- गोपाल मोची ग्राम+पो0- शुम्भा ड्योढी थाना- सिधिया जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी न0- 3000604791	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	दिनेश राम पिता- मोती लाल राम ग्राम+पो0- नरहरपुर थाना- गौरा बाजार जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000628636	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	अमन कुमार पिता- बिरेन्द्र कुमार ग्राम- रसुला पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद यूएचआईडी न0- 3000630523	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	अजीया देवी पति- परमेश्वर मडल ग्राम- गंगापुर कोलवारा टोला पो0- गंगापुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न0- 3000616872	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	राजीव नयन सिंह पिता- सियाशरण सिंह ग्राम- परसावा पो0- धर्मशाला थाना- परैया जिला- गयाजी यूएचआईडी न0- 3000626451	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	मुकेश कुमार पिता- बाबूलाल मंडल ग्राम- मुबारकपुर पो0- बहरम्बा थाना- लछुआड जिला- जमुई यूएचआईडी न0- 3000628264	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	अरुण कुमार उपाध्याय पिता- तारकेश्वर उपाध्याय ग्राम- एतवारपुर पो0- कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000601188	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	रतन बनिक पिता- गणेश बनिक ग्राम- बेल बाग बंगाली कॉलोनी पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000618231	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	अवधेश साह पिता-स्व0 मुन्नी साह ग्राम-सलखुआ वार्ड 04 पो0-अपहर थाना अमनौर जिला सारण रजिन0-अकित नहीं है।	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
17	शिवांक कुमार पिता-रंजन कुमार सिंह ग्राम-रूपस महाजी पो0- ग्यासपुर महाजी थाना- राघोपुर जिला वैशाली रजिन0-अकित नहीं है।	Split Osteotomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
18	उदय शकर वर्मा पिता- स्व0 शिव नदन महतो ग्राम- रामजीचक नियर जहाज घर रोड पो0-बाटागंज थाना- दीघा जिला पटना रजिन0-3000419231	किडनी रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			12,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002677 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1228(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/4/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीनबधु कुमार शर्मा पिता- लालबाबू शर्मा ग्राम- सौंझा पो0- बसत थाना- डेरनी जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	मोहम्मद शनिवाज पिता- मोहम्मद असलम ग्राम+पो0- बाहा चौकी थाना- हेमजापुर जिला- मुंगेर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मुकेश कुमार पिता- ऐतावारी मंडल ग्राम- लुक्खीटोला पो0- शहजादपुर थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	मधु देवी पति- जगदीश प्रसाद ग्राम- ठाकुरबाडी गौरी शंकर स्कूल पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	राजीव रजन पिता- राजेश्वर राय ग्राम+पो0- तुर्की थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	सगीता सिंह पति- सजीत कुमार ग्राम- पटेल नगर पो0- भाखरुआ थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	रिंकू देवी पति- दामोदर चौहान ग्राम- दलहर पो0- बिमान थाना- अरियरी जिला- शेखपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	रविद्र कुमार पिता- चद्रदेव पासवान ग्राम- कबीलपुर पो0- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	शिवबहल राय पिता- स्व0 बाबु राम राय ग्राम- समहरिया पो0- चौरी थाना- कलेर जिला- अरवल	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
10	शीला देवी पति- शिया शरण ग्राम- नया टोला कुम्हार पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	गौरी शंकर सिंह पिता- स्व0 साखी चाद सिंह ग्राम- हृदयसरेया पो0+थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
12	अनुज कुमार पिता- मनोज प्रसाद ग्राम- कुमरुद्दीन गज पो0- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			14,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,40,000/- (चौदह लाख चालीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND

SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—एस0बी0आई0 ग्रांड उड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 30/4/2026

ज्ञापांक 1229(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. ~~002647~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
30/4/26

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनाक..... ..

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध मे।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 22.04.2026 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	प्रियाशु प्रियदर्शी पिता- कुमुद कुमार सिंह ग्राम- फुलाढ पो०- मसूरपुर थाना- वैशाली जिला- वैशाली	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1230 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं०...0026...7...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/4/26

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश साव पिता- स्व० महेद्र साव ग्राम- कणडाप पो०+थाना- गौरीचक जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	जैकी कुमार पिता- सिगेश्वर सिंह ग्राम- महुली पो०- कोठिया थाना- दीदारगंज जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	उमेश ठाकुर पिता- रामजीवन ठाकुर ग्राम+पो०+थाना- चोरौत जिला- सीतामढी	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रेश्मा बानो पति- खुशनसीब खान ग्राम- रामपुर भरेथा पो०- अमौना थाना- कच्छवा जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	प्रमोद कुमार ठाकुर पिता- जगली ठाकुर ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शिवेद्र कुमार पिता- दिलमोहन राम ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अर्जुन प्रसाद पिता- स्व0 नागेश्वर महतो ग्राम- शवानी वार्ड 12 पो0- शवानी थाना- बखतियारपुर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 5,35,000/- (पाँच लाख पैंतीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002617 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1231(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है.-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सवास्तिका देवी पति- मध्यानन्द झा ग्राम+पो०- लालगंज थाना- छातापुर जिला- सुपौल	स्पाईन सर्जरी (सरवाईकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सुधा देवी पति- अजय पासवान ग्राम- गोपाल टोला पो०+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सत्यनारायण राम पिता- नशीब राम ग्राम- झौवारी पो०- महाराजगज2 थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुधा देवी पति- अजीत कुमार ग्राम+पो०- सेवा थाना- गिद्धौर जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी (डिस्क प्रोलैप्स)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	पूनम कुमारी पति- गुड्डू पडित ग्राम- बघरा पो०+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			3,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002647 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0”खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0— HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1232(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बैजू सिंह पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम- रसूलपुर हबीब वार्ड 03 पो०- चदपुरा थाना- चादपुरा जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

- आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1233(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002647...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
30/4/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदित्य कुमार पिता- स्व० अनिल कुमार ग्राम- हाउस न०- 117 टिकिया टोली मोगलपुरा पो०- झाऊगज थाना- खॉजेकला जिला- पटना	पाइल्स सर्जरी	55,000	पचपन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अमन राज पिता- विजय मेहता ग्राम- मलिया महादेव महाराजगज गुलजारबाग पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	Ostcotomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रवि रंजन कुमार पिता- कपिल देव ठाकुर ग्राम- फेकु बिगहा पो०- जलपुरा थाना- अरवल जिला- अरवल	Tympanoplasty	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	शिव शंकर सिंह पिता- स्व० शिव पुजन सिंह ग्राम-कोचस पोस्ट- कोचस थाना-कोचस जिला-रोहतास	Cerebral hemispheres	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,30,000	

2 उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002677~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना—16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1234(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0...~~002677~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा देवी पति- कमलेश्वरी यादव ग्राम- बालुटोल पो०- चम्पावती थाना- सरसी जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुलेखा सिन्हा पति- निशार खान ग्राम- राजपुर पो०+थाना- डगमारा जिला- सुपौल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 012647 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- 7 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1235 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पप्पु प्रसाद पिता—सुदर्शन प्रसाद ग्राम—कुर्जी मोड अपोजिट गेट न०—66 पोस्ट— सदाकत आश्रम थाना—दीघा जिला पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम—“बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1236 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.26.77...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लाल मोहन प्रसाद पिता- स्व० शिव शंकर साव ग्राम- अशियाना नगर खाजपुरा पो०- बी०वी० कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	नीतू देवी पति- राजेश कुमार चौधरी ग्राम+पो०+थाना- फलका जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुमित्रा देवी पति- बद्री नारायण साह ग्राम+पो०- मोहनिया चकला थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	नीलम तिवारी पति- चंद्र देव तिवारी ग्राम- भिट्ठी पो०- शंभुआर थाना- टाउन जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	माया देवी पति- रत्नेश्वर राउत ग्राम- अम्बा पो०- बाराहाट थाना- बाका जिला- बाका	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	फेकनी देवी पति- डोमन ठाकुर ग्राम- बडी पहाडी वार्ड 20 पो0- सोहसराय थाना- लहेरी जिला- नालदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
7	गुडिया देवी पति- शकर कुमार राम ग्राम- जानकी मंदिर ईस्ट गली मैनपुरा पो0- जी0पी0ओ0 थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002647 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1237(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002617 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 22.04.2026 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० फिरोज अहमद पिता— स्व० अब्दुल गफ्फार ग्राम— अजीज लेन मीठापुर फुलवारी पो०— जी पी ओ थाना— जक्कनपुर जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002617 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 30/4/2026

ज्ञापक 1238(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शीला देवी पति- मनोज गुप्ता ग्राम+पो०- तेघरा थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुंगेर केस फाईल न०- 19एफ2026/001637	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	राज कुमारी देवी पति- जय किशोर सिंह ग्राम- रामनगरा पो०- सिरौली थाना- रीगा जिला- सीतामढी केस फाईल नं०- 19एफ2025/002020	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	बेचू महतो पिता- राजदेव महतो ग्राम- शाहपुर पो०- छौरहिया थाना- सहियारा जिला- सीतामढी केस फाईल नं०- 19एफ2026/000294	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
4	चंदेश्वर सिंह पिता- स्व० चूल्हाई सिंह ग्राम- सोमनाहा बडाटोल पो०- सोमनाहा मिर्जानगर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/004621	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	रानी कुमारी पति- रामवृक्ष पासवान ग्राम- चकअब्दुलगनी पो0- रामपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 16एफ2026/000550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	विनोद महतो पिता- कैलू महतो ग्राम+पो0- बनौल थाना- बोखडा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026/000905	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	सुनैना देवी पति- अजय पोद्दार ग्राम- काशपुर पो0- महादेवपुर थाना- अमरपुर जिला- बाका केस फाईल न0- 19एफ2026/001781	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सरस्वती देवी पति- राम बिनोद दास ग्राम- बेला पो0- गीता देवधा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/006446	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	मो0 आसिफर पिता- मो0 तुफी ग्राम- आलमपुर पो0- कच्ची दरगाह थाना- नदी जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2025/019665	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	गिरजा देवी पति- कृष्णा प्रसाद ग्राम- रक्षा रहीमपुर पो0+थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001426	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	गायत्री देवी पति- रमाकांत राय ग्राम+पो0- भोरहा मोहनपुर थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर केस फाईल न0- 19एफ2025/004305	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।

12	जलेखा खातून पति- शीतल मिया ग्राम+पो0- बरवत सेना थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001365	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	मो0 मसलेउद्दीन पिता- मो0 महमूद आलम ग्राम- चंदा पो0- पैना थाना- चौसा जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001201	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	गीता देवी पति- विनोद साह ग्राम- काँटी कसवा वार्ड 05 पो0+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 003459	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	सुनीता देवी पति- राज कुमार राम ग्राम- भगवानपुर सिमरा पो0- मिर्जापुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004671	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	रजू देवी पति- योगेंद्र राम ग्राम- भगवानपुर सिमरा पो0- लालू छपरा थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 005459	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	अनिमा ठाकुर पति- मनोज ठाकुर ग्राम- सिरसिया जगदीश पो0- सिरसिया थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001519	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	किशोरी सिंह पिता- सीता राम सिंह ग्राम- फुलवरिया पो0- मिर्जा नगर थाना- महुआ जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सजू देवी पति- शिवशकर राम ग्राम- चाको छपरा पो0- लौटन थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 000201	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सबिस्ता खातून पति- मो0 दिलसार आलम ग्राम- कालपीर पो0- बीबीगज थाना- कोधोबरी जिला- किशनगज केस फाईल न0- 11एफ2025 / 023932	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	दिनेश कुमार शर्मा पिता- जयराम शर्मा ग्राम- सैदपुर पटेढा पो0+थाना- सराय जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000570	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	प्रेमशिला कुंवर पति- स्व0 रजीत तिवारी ग्राम+पो0- छत्रौली थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2023 / 004058	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	मनिया देवी पति- नदू सहनी ग्राम+पो0- नरसिंहपुर थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 005397	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
24	जान बीबी पति- मुस्तफा देवन ग्राम+पो0- गोविदापुर थाना- हरसिंदी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 005357	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	राम सखी देवी पति- रघुवंश प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0+थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000761	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
26	मो0 मुस्तफा वारसी पिता- मो0 जैनुल ग्राम- काँटी कोठिया पो0+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 002907	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

27	नीलम देवी पति- कृष्णदेव पासवान ग्राम- भरथीपुर पो0- सरैया थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	अब्दुल मतीन पिता- खोखा ग्राम- सिंगलपुर पो0- सोनौली थाना- कदवा जिला- कटिहार केस फाईल न0- 11एफ2026 / 001500	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
29	आसमा खातून पति- रूस्तम आलम ग्राम- अम्मार्घाद पो0- भेडिहरवा थाना- साठी जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001427	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
30	रेखा देवी पति-मटू महतो ग्राम-भारत माता चौक मालीघाट, पोस्ट-रमना थाना-मिठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर केसफाइलनं0-19एफ2026 / 002926	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			18,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,30,000/- (अठारह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002617 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एडं रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता का संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1239 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002617...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है -

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज मंगल सिंह पिता- शिव शंकर सिंह ग्राम- पन्देह पो०- करमवारी थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम .. RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1240(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं०...002677 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	विजय चौधरी पिता-हरी लाल चौधरी ग्राम-चकसलेम पोस्ट-पटोरी थाना-शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सरविल देवी पति-सीता राम पंडित ग्राम-सिपारा मटखन पो०- ढेलवा थाना- बेउर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मो० ओवैश पिता-मो० सुलेमान ग्राम-मोरवा बाजार पोस्ट-मोरवा थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सुनीता जायसवाल पति-गजेन्द्र प्रसाद जायसवाल ग्राम-महनार गंगा रोड महनार पोस्ट-महनार थाना- महनार जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	देमती देवी पति- प्रताप राम ग्राम-नाला रोड अमरुदी गली पोस्ट-बांकीपुर थाना-कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	लालती देवी पति- रामेश्वर राम ग्राम+पो0-पुनाडीह थाना- दीदारगज जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	लीला देवी पति-जवाहर सिंह ग्राम-सुकुलपुर पोस्ट-कच्ची दरगाह थाना- फतुहा जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	वीरो देवी पिता- उमेश साव ग्राम+पो0-पुनाडीह थाना-दीदारगज जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	देवपति देवी पति-चनारिक राय ग्राम-हैबतपुर पो0-चदपुरा इदार्क थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	राजा रानी देवी पति-रामजी यादव ग्राम-ईस्ट लोहानीपुर पोस्ट-कदमकुआ थाना-कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	मालती देवी पति-चद्रदेव राम ग्राम-सब्जीबाग पो0-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	श्रवन कुमार पिता-केदार सिंह ग्राम-महमुदीचक रोड नं0-10 पोस्ट-राजेन्द्र नगर थाना- कदमकुआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

13	हिमाचल सिंह पिता-राम चन्द्रिका सिंह ग्राम-राजेन्द्र नगर महमुदीचक पो0-राजेन्द्र नगर थाना-कदमकुआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	लालमुनी देवी पति-मुन्ना प्रसाद ग्राम-नाथाचक पोस्ट-कच्ची दरगाह थाना दीदारगंज जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002617 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1242(14)

पटना, दिनाक- 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक

स0. ~~0.02677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एमन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवनंदन राय पिता- स्व० सुखदेव राय ग्राम- साहपुर माथियापुर पो०- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 00267 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम- "ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा

सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1243 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) (आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई. टी. मैनेजर,
29/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जा
पटना 801105

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	केशो महतो पिता— रामखेलावन महतो ग्राम— नेवा पो०— डिहरी थाना— पीपडा जिला— पटना	Re Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200021671321 खाता धारक का नाम— **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्वादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1244(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0...~~002677~~...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवशी नगर,
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में ।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है ।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि कुमार पिता- देवी लाल साव ग्राम- दीघा पोस्ट ऑफिस रोड वार्ड 01 पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	ड्रामा	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।
			30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 30,000/- (तीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०. 002645.
...मूल रूप में संलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय । अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय । बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है । उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1241 (14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

पप्पू कुमार
पिता- जवाहर राय
ग्राम- चकउफरौल
पो०- सहदुल्लाहपुर धोबौली
थाना- बिदुपुर
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844502

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पप्पू कुमार पिता- जवाहर राय ग्राम- चकउफरौल पो०- सहदुल्लाहपुर धोबौली थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली पिनकोड- 844502	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30/01/2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 2748239223, खाता धारक का नाम- PAPPU KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- KOTAK MAHINDRA BANK, शाखा का नाम- DIGHIKALAN, IFSC कोड स०- KKBK0005750 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1262(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.0026.1.7 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



Name: _____

Name: _____



1800-200-0000

Account No: 18000000000000000000
Branch: ...

Branch: ...
Address: ...

...
...

...
...

...
...

...
...

Pay to the order of: Kumar &

Handwritten mark

स० स० 14/एम 11- 01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अनू कुमार
पिता- पन्नालाल प्रसाद
ग्राम- शिवपुरी भसलोतन
पो०+थाना- वाल्मीकिनगर
जिला- पश्चिम चम्पारण
पिनकोड- 845107

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनू कुमार पिता- पन्नालाल प्रसाद ग्राम- शिवपुरी भसलोतन पो०+थाना- वाल्मीकिनगर जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845107	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~00267~~... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 34541364357, खाता धारक का नाम- ANNU KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- VALMIKINAGAR, IFSC कोड सं- SBIN0001432 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1264(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 0026...7...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख 30/4/26

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रजीत झा
पिता- योगेद्र झा
ग्राम+पो०- भद्रेश्वर
थाना- बथनाहा
जिला- अररिया
पिनकोड- 854316

पटना, दिनाक.. . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनाक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत झा पिता- योगेद्र झा ग्राम+पो०- भद्रेश्वर थाना- बथनाहा जिला- अररिया पिनकोड- 854316	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनाक-30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002647द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 463710110009391, खाता धारक का नाम- RANJIT JHA, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- FORBESGANJ, IFSC कोड सं०- BKID0004637 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1265(14)

पटना, दिनांक 30/4/2026


प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.. 002687 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

हमारी महत्वपूर्ण योजनाएँ

1. स्टार होम लोन
2. स्टार बंधक ऋण
3. स्टार वैयक्तिक ऋण
4. स्टार हॉलीडे ऋण
5. स्टार आईपीडो ऋण
6. स्टार शिक्षा ऋण
7. वीओआई लघु उद्यमी ट्रेड-कार्ड
8. वीओआई किसान समाधान कार्ड
9. वीओआई शताब्दी कृषि विकास कार्ड



Reserve Bank does not regulate the activities of the Primary Agricultural Credit Societies (PACS) as they are not covered by the Banking Regulations Act, 1949 (AACS), and the deposit maintained with PACS are not insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

कृपया अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक से मिलें।
अथवा www.bankofindia.com पर लॉग ऑन करें।

Acc-463710110009391



बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

IFSC - BKID0004637

शाखा / Branch

खाता सं. / SB Account No. 463710110009391

नाम / Name

RANJIT JHA

व्यवसाय / Occupation SELF EMPLOYED

पता / Address

S/O- JOSHNERA JHARIL-ROHTAK
VIA-FORGEEGANJ
FORGEEGANJ (BH)
BINA

Nomination:- REGD.
06-07-2012

जारी करने की तारीख / Date of Issue

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

Account no : 463710110009391

IFSC Code : BKID0004637

ये मेरा ही Account है।

रंजीत जहा

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

राज वर्धन कुमार
पिता- विपिन कुमार सिंह
ग्राम- सोनापुर भराठ
पो०- हंसपुर
थाना- नयागांव पी एस
जिला- बेगूसराय
पिनकोड- 851129

पटना, दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज वर्धन कुमार पिता- विपिन कुमार सिंह ग्राम- सोनापुर भराठ पो०- हंसपुर थाना- नयागांव पी एस जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851129	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 33215072069, खाता धारक का नाम- RAJWARDHAN KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- HANSPUR, IFSC कोड सं०- SBIN0008132 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1263(14)

पटना, दिनाक 30/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/4/26
निदेशक प्रमुख



सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिन्ह (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयोगें। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
 For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
 STATE BANK OF INDIA
 HANSPUR BRANCH

Name: RAJVARDHAN KUMAR
 S/O: BIPIN KUMAR SINGH
 Mobile Number: 7549542796
 Account No.: 33215072069
 Acc. Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
 Address: S/O BIPIN KUMAR SINGH
 VILL-SONAUR, BELGAHI PO HANSPUR
 DIST-BL/SHAMLI
 Email: rajb2s0323@gmail.com
 Mobile: 7549542796

Email: sbi.08132@sbicoin.in
 Phone No.: 9955997354
 IFSC: SBIN0008132

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:00
 MFC: 351002616
 MO: SINGH
 Acc opening BR: 10/07/24
 Nom Reg No: 00060003220572
 Customer ID: 11013515
 Date of Issue: 22/02/2024
 POSTAL: 51102



R Singh
 22/02/24
 शास्त्री प्रबंधक
 BRANCH MANAGER

Name - RAJ VARDHAN KUMAR
A/c - 33215072069
IFSC - SBIN0008132
MOB - 7549542796 , 8210736218